

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 329

06 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष उत्पाद निर्माताओं द्वारा भ्रामक विज्ञापन

329. श्री जयंत चौधरी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत वर्ष के दौरान औषध एवं प्रसाधन नियमावली (2018) से नियम 170 को हटाए जाने के बाद आयुष उत्पाद निर्माताओं द्वारा दिए जा रहे झूठे विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान एएससीआई और गामा पोर्टल द्वारा ऐसे भ्रामक प्रस्तुतिकरण के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) आयुष उत्पादों के संबंध में भ्रामक दावों पर एएससीआई मानकों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार इस खतरे से निपटने और एएससीआई द्वारा जारी मानकों पर कायम रहने की योजना बना रही है, जिसमें नियम 170 को फिर से लागू करना भी शामिल है;
- (ङ) यदि हां, तो इससे निपटने के लिए की गई पहल और राज्यों को जारी किए गए दिशानिर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी नहीं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को हटा दिए जाने के बाद आयुष विनिर्माताओं द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। पिछले वर्ष में भ्रामक विज्ञापनों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	भ्रामक विज्ञापन
2022	7367
2023	7771

2017 में, आयुष मंत्रालय ने प्रिंट एवं टीवी मीडिया में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) उत्पादों के विज्ञापनों की निगरानी हेतु दो साल के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, एएससीआई को विशिष्ट तौर पर हर्बल औषधियों/उत्पादों के 948 विज्ञापन प्राप्त हुए।

भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत (जीएएमए) पोर्टल (<https://gama.gov.in/Secure/ShowComplaints.aspx>) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान भ्रामक विज्ञापनों के बारे में शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	भ्रामक विज्ञापन
2018	431
2019	320

2020	347
2021	3
2022	2

(ग): आयुष उत्पादों के संबंध में भ्रामक दावों पर एससीआई मानकों के ब्यौरे के संबंध में आयुष मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) से (च): भारत सरकार ने आयुष औषधियों के भ्रामक विज्ञापन से निपटने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:-

- i. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देने वाले औषधियों एवं चिकित्सीय पदार्थों, जिनमें आयुष औषधियां भी शामिल हैं, के भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों के निषेध के प्रावधान हैं और सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार है।
- ii. आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र योजना यथा 'आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना' (एओजीयूएसवाई योजना) के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एसयू एंड एच) औषधियों के भेषजसतर्कता केन्द्रों को भ्रामक विज्ञापनों पर नज़र रखने और संबंधित राज्य विनियामक प्राधिकरणों को उसकी सूचना देने का अधिदेश दिया गया है। एक त्रिस्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है जिसमें एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केन्द्र (एनपीवीसीसी), मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केन्द्र (आईपीवीसी) और परिधीय भेषजसतर्कता केन्द्र (पीपीवीसी) शामिल हैं। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के राष्ट्रीय भेषजसतर्कता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) है।
- iii. उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए), भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत (जीएमए) पोर्टल का रखरखाव करता है, जो भ्रामक विज्ञापनों के मामलों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, चूंकि टीवी चैनलों के लिए विनियम और उनका प्रवर्तन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) के अधिदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले भ्रामक विज्ञापनों के प्रसंग एमओआईबी को कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिए जाते हैं।
- iv. चूंकि आयुष उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र मौजूद है, इसलिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
